उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

Diary No. 30
Date : 07-01-25
Dir. (OP)/Camo

संख्याः 07 -पारे0अनु0-03(विधि)/पाट्राकालि-2025 दिनांकः 03 जनवरी, 2025

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के आदेश संख्या-3156-पारे0अनु0-16/पाट्राकालि-2017-64/13, दिनांक 02.05.2017 के द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के गैर-वाणिज्यिक (सेवा सम्बन्धी) मामलों की पैरवी एवं नोटिस प्राप्त करने हेतु श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव को स्थायी अधिवक्ता नामित किया गया था एवं मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वाणिज्यिक (सेवा सम्बन्धी मामलों के अतिरिक्त) मामलों की पैरवी एवं नोटिस प्राप्त करने का कार्य श्री पंकज कुमार शुक्ला, स्थायी अधिवक्ता को आवंटित किया गया था।

उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० कार्यहित में उपरिंकित आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के गैर-वाणिज्यिक (सेवा सम्बन्धी) मामलों की पैरवी एवं नोटिस प्राप्त करने हेतु श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर श्री प्रांजल मेहरोत्रा (पंजीयन सं0-यू0पी0 4368/2007) (मो0नं0-9453011277) को तत्काल प्रभाव से स्थायी अधिवक्ता नामित किया जाता है। श्री पंकज कुमार शुक्ला, स्थायी अधिवक्ता पूर्व की भॉति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के वाणिज्यिक (सेवा सम्बन्धी मामलों के अतिरिक्त) मामलों की पैरवी एवं नोटिस प्राप्त करने का कार्य सम्पादित करते रहेंगे।

1. उपरोक्त अधिवक्ता इस कार्यालय ज्ञाप के निर्गमन की तिथि से अग्रिम आदेशों तक उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के स्थायी अधिवक्ता नामित रहेंगे किन्तु उनकी नियुक्ति बिना नोटिस या बिना कारण बताये एवं अधिवक्ता द्वारा सम्पादित कार्यो के आधार पर कभी भी समाप्त की जा सकती है।
2. उपरोक्त स्थायी अधिवक्ता को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में समय-समय पर निर्गत आदेशों की अनुरूपता में पारिश्रमिक देय होगा।
3. कोई विशिष्ट मुकदमा किसी विशिष्ट अधिवक्ता को आवंटित किये जाने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 को होगा।
4. कारपोरेशन की ओर से नामित स्थायी अधिवक्ता कारपोरेशन के विरूद्ध किसी वाद/अपील/याचिका इत्यादि में पैरवी नहीं करेंगे।
5. स्थायी अधिवक्ता को कारपोरेशन से सम्बन्धित वाद/अपील/याचिका/अन्य सम्बन्धित प्रशासनिक बिन्दुओं पर अभिमत हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क अनुमन्य नहीं होगा।
6. उपर्युक्त आदेश उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के द्वारा समय-समय पर की जाने वाली नीति एवम् शर्तों के प्रतिबन्धाधीन है।

प्रबन्ध निदेशक

क्रमशः--02

संख्याः 07(1)–पारे0अनु0–03(विधि)/पाट्राकालि–2025 तद्दिनांक: 03/01/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन (मु0), लखनऊ।
4. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन (मु0), लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
6. उप विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
8. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
9. उप सचिव (पारेषण–प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अनु सचिव (पारेषण–02बी/04ए/04बी), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. श्री पंकज कुमार शुक्ला, स्थायी अधिवक्ता, कार्यालय/निवास डूपलेक्स–40, अम्बेडकर विहार, हाईकोर्ट के पास आवासीय परिसर, चौफटका, इलाहाबाद (मो0नं0–9415214727, 9936475387)
12. श्री प्रांजल मेहरोत्रा, स्थायी अधिवक्ता, 34, ताशकन्द, सिविल लाइन्स, प्रयागराज (मो0नं0–9453011277)।
13. श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता, 130ए/3डी/5ए, अवतार टॉकीज के पीछे, तेलियरगंज, इलाहाबाद।
14. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब–साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

कुसुम कुमारी 03.01.2025

(कुसुम कुमारी कुरील)

अनु सचिव (04ए)